भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1764

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन 1946 (शक) को दिया जाना है

केरल में 'हाफ प्राइस घोटाला'

1764. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने केरल में 'हाफ प्राइस घोटाला' से संबंधित कोई मामला दर्ज किया है और इस संबंध में छापेमारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास 'हाफ प्राइस घोटाला' में अपने पैसे गवाने वाले पीड़ितों की संख्या का कोई आंकड़ा उपलब्ध है;
(ग) क्या सरकार को पता है कि कमजोर वर्गों के गरीब और सामान्य लोग धोखाधड़ी के कारण अपना पैसा गवां चुके हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार इस संबंध में सीबीआई जांच कराने का प्रस्ताव रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या केरल की राज्य सरकार ने इस संबंध में जांच कराने और कार्रवाई करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या केरल पुलिस ने धोखाधड़ी की जांच करने के लिए ईडी अधिकारियों की सहायता की है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): जी हाँ। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल में 'हाफ प्राइस घोटाला' के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की है। इसके बाद, धन शोधन के अपराध से संबंधित साक्ष्य एकत्रित करने और अपराध से प्राप्त आय का पता लगाने के लिए, इस घोटाले से संबंधित 12 परिसरों में दिनांक 18.02.2025 को तलाशी की कार्रवाई की गई थी।

(ख) एवं (ग): अब तक की गई जांच से पता चला है कि उक्त घोटाले में शामिल योजनाओं में निवेश करने वाले अधिकांश लोग निम्न एवं मध्यम वर्गों से हैं।

(घ) एवं (ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) एवं (छ): प्रवर्तन निदेशालय ने केरल पुलिस से एफआईआर की प्रमाणित प्रति, पता लगाए गए अपराध से प्राप्त आय का विवरण आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। तथापि, अभी तक, इस संबंध में कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

*****